भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

[illegible]
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024

पत्र सं॰ 8बी/08/28/2015/एफ॰सी॰/ 721

दिनांक : 26-8-15

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: जनपद एटा में टूण्डला–एटा मार्ग (एस०एच०–31) किमी० 32.33 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम– मिलावली के गाटा संख्या–131 खसरा संख्या–383 (ख) पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.002 है० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी32/14–2–2015–800(84)/2015, दिनांक– 07.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव का भाग–4 खाली है। संबंधित राज्य प्राधिकरण द्वारा इसे भरा नहीं गया है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ–27 एवं 28 में संरक्षित वन भूमि की अधिसूचना को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।
3. पृष्ठ 45 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का मानचित्र डिजीटल नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर को दर्शाते हुए पुनर्संपादित डिजीटल मानचित्र .kml file में प्रस्तुत करें। उक्त पुनर्संपादित डिजीटल मानचित्र की प्रति को इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे सी०डी० एवं पेन ड्राइव के साथ भेजें।
4. पृष्ठ 47 एवं 48 में दी गयी वचनबद्धता सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
5. पृष्ठ 62 पर मानचित्र में index नहीं दिया गया है एवं मानचित्र पेंसिल से बना है।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मानचित्र डिजीटल नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर को दर्शाते हुए पुनर्संपादित डिजीटल मानचित्र .kml file में प्रस्तुत करें। उक्त पुनर्संपादित डिजीटल मानचित्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे सी०डी० एवं पेन ड्राइव इत्यादि में प्रस्तुत करें।
7. पृष्ठ 64 एवं 65 पर संलग्न वचनबद्धता प्रमाण पत्र एक समान है एवं दोनों ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं।
8. प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना नहीं प्रस्तुत की गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(सुरेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 531 /11सी–एटा, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 04, 2015

प्रतिलिपि वन संरक्षक, **अलीगढ़ वृत्त** को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को **शीघ्रातिशीघ्र** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, **एटा** को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचनाओं को बिन्दुवार पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टैरीटरी सेल्स मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, एटा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी